प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक : 31 मार्च, 2005

विषय: रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके का सं0-7प/8/8/2003/3975 दिनांक 21.2.2004 व 7प/8/8/2003/26381 दिनांक 26 अक्टूबर 2004 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-309/चि-3-2003-100/2002 दिनांक 28.3.2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 में में रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 49,70,000.00 (रू0 उनचास लाख सत्तर हजार मात्र) तथा भवन में विद्युत संयोजन हेतु लागत रू0 6,70,000.00 (रू0 छः लाख सत्तर हजार मात्र) पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्नकानुसार रू0 16,23,000.00 (रू0 सोलह लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो पर प्रदान करते है।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ले।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय कार्य की स्वीकृति से सम्बन्धित मूल शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो/नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा ।

3- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

4- उक्त धनराशि तत्काल आहरित करने से पूर्व कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर निर्माण इकाई अपर परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल के

किसी विज्ञ अधिकारी के द्वारा किसी भी कार्य दिवस में टेक्नीकल आडिट से, उत्तरांचल शासन से जांच करवाने हेतु सम्पर्क किया जायेगा ।

5- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा ।

6- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

7- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

8- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9- एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

11- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

12- आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए ।

13- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

14- निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

15- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जायेगा

16- उक्त व्यय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110- अस्पताल तथा औषधालय 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0104-ग्यारवें वित्त आयोग द्वारा क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक केन्द्रो की स्थापना 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुर्नविनियोजन प्रपत्र बी0एम0-15 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -00-आयोजनागत -02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय, 97-बाह्य सहायतित परियोजनाएँ, 02-हैल्थ सिस्टम परियोजना-24 वृहत निमार्ण कार्य की बचत से वहन किया जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-1823/वित्त अनुभाग-2/2005 दिनांक 31.3.05 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं. 404/xxviii(3)2005-100/2002 TC तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4- मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।
5- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल ।
7- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं. 404/xxviii(3)2005-100/2002 TC दिनांक 31/3/2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	पूर्व स्वीकृत लागत	पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि	पुनरीक्षित लागत	विद्युत संयोजन हेतु लागत	वर्ष 2004-05 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल का भवन निर्माण।	40.17	40.17	49.70	6.70	16.23
	योग	40.17	40.17	49.70	6.70	16.23

(रू0 सोलह लाख तेईस हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

सं. 404/xxviii(3)2005-100/2002 TC दिनांक 31/3/2005 का संलग्नक। (वित्तीय वर्ष 2004-05)

नियंत्रकअधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून (रू0 हजार में)

अनुदान सं0 - 12

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -00-आयोजनागत -02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय, 97-बाह्य सहायतित परियोजनाएं, 02-हैल्थ सिस्टम परियोजना-24 वृहत निमार्ण कार्य				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110-अस्पताल तथा औषधालय 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0104-ग्यारवें वित्त आयोग द्वारा क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक केन्द्रों की स्थापना 24-वृहत निर्माण कार्य			क. हैल्थ सिस्टम परियोजना अंतर्गत आवश्यकता से अधि बजट प्राविधान होने के का धनराशि की बचत है। ख. क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक केन्द्र भवन का निर्माण योजना टोकन बजट प्राविधान होने कारण धनराशि की आवश्यक है।
235302	100000	-	135302	1623	3172	233679	
योग 235302	100000	-	135302	1623	3172	233679	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 151,156 में उल्लिखत प्रतिबन्धें एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

PK
1507

(08)

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग - 2
संख्या 1823 (A) वित्त अनु0-2/
देहरादून : दिनांक 31 मार्च 2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृति

एल0एम0 पंत
अपर सचिव,
वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।

सं. 404/xxviii(3)2005-100/2002 TC तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. वित्त अनुभाग-2
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव